रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1988/आश्विन 21, 1910
No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1988/ASVINA 21, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 61 आई. टी. सी. (पी एन.)/88—91

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1988

विषय :—तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि. की तमिलनाडु लघु उद्योग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3.198 बिलियन येन के ओ. ई. सी. एफ. (विदेशी आर्थिक सहयोग निधि) ऋण सं. आई. डी. पी.—47 के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आई पी सी /23/(45)/88-89:—तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि. के तमिलनाडु लघु उद्योग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3.198 बिलियन येन के ओ. ई. सी. एफ. ऋण सं. आई. डी. पी.-47 के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयातों को शासित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ठ में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जा रही हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 61 आई. टी. सी. (पी एन)/88-91, दिनांक 13-10-88 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए तमिलनाडु लघु उद्योग निगम लि. (टी. एन. एस. आई. डी. सी. ओ.) की तमिलनाडु लघु उद्योग विकास परियोजना के लिए येन 3.198 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन उपस्कर और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड—1 सामान्य शर्तें

1(1) टी. एन. एस. आई. डी. सी. ओ. की तमिलनाडु लघु उद्योग विकास परियोजना की आयात

आवश्यकता को वित्तदान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) द्वारा प्रदान किया गया 3.198 बिलियन येन का ऋण जापान और विकासशील देशों जिनमें भारत भी शामिल है के लिए खुला है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध–1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्त्रोत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सों) येन का मूल्य 3,517 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78–आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेगा। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं. आई डी पी—47" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेली" कोड होगा। टी. एन. एस. आई. डी. सी. ओ. को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर केवल टी. एन. एस. आई. डी. सी. ओ. के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) आयातक की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य 3,517 बिलियन लागत बीमा भाड़ा येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (2) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में आयातक द्वारा आवेदन करने पर 12 महीनों की और आगे की अवधि के लिए वृद्धि दी जा सकती है। आगे और वृद्धि करने के लिए/नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन हो तो उसे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वितदान किए जाने वाले आयात/आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध—1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क लागत बीमा भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में देय होगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू ई—1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा —1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से जहां दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते उन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे अवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे। जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्राप्त करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी

और विभागीय पदाधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतनदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात पोतनदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ——————महीने परन्तु अधिक से अधिक ——————के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतनदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1992 के बाद की न हो।

खण्ड—2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें।

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा भाड़ा मूल्य येन में (येन को भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जोकि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ऋण की रकम से वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और स्त्रोत ऋण के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन बिन्दुओं के अनुसार निम्नलिखित सम्पूरक शर्तों के साथ किए जाएंगे :—

(क) कम से कम 500 मिलियन येन के अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं/स्त्रोतों की अधिप्राप्ति के मामले में:—

(1) यदि पूर्वअर्हता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का प्रस्ताव है तो अधिप्राप्ति की पद्धति के अनुमोदन के लिए ओ. ई. सी. एफ. को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उससे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) सकल बोलीकार को निर्णय का नोटिस जारी करने से पहले बोली मूल्यांकन रिपोर्ट सहित निर्णय के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र ओ. ई. सी. एफ. को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णय और बोली मूल्यांकन के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के साथ-साथ पूर्व अर्हता की मूल्यांकन रिपोर्ट, बोलीकारों को दिए गए नोटिस और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित ठेका विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली से संबंधित अन्य दस्तावेज ओ. ई. सी. एफ. को भी पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) 500 मिलियन येन से कम अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में ठेके के निर्णय के लिए ओ. ई. सी. एफ. के पूर्व अनुमोदन की इस शर्त पर आवश्यकता नहीं है कि निविदा को उचित रूप से विभाजित की गई हों। लेकिन यदि ओ. ई. सी. एफ. अनुरोध करें तो निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट आदि उसको पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(ग) परामर्शदाताओं को नियोजित किया जाएगा परन्तु उनका नियोजन ओ. ई. सी. एफ. के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा। परन्तु निम्नलिखित प्रलेखों के सम्बन्ध में ओ. ई. सी. एफ. की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी :—

(1) विचारार्थ मदें

(2) परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची

(3) नियंत्रण पत्र

(4) सारांश मूल्यांकन नोट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट.

(घ) आयातक उपर्युक्त (1) (क), (2) (ख) और (ग) में उल्लिखित आवेदन पत्र दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा ओ. ई. सी. एफ. को भेजे जाएंगे।

2(3) विदेशी संभरक को भुगतान, उसके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1987-88 के लिए ओ. ई. सी. एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) स. आई डी पी-47 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका ब्यौरा नोट खण्ड—7 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता :—संभरक पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक होने या पात्र स्त्रोत देशों में शामिल किये गये तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे ।

2(6) अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमेय आयात :—जिन वस्तुओं में अपात्र स्त्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद प्रति एकक का मूल्य मदवार आधार पर आयातित भाग का 50% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य—आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100''$$

(भारतीय संभरकों के संबंध में एक्स फैक्टरी मूल्य अपनाया जाएगा)

2(7) संविदा में घोषणा :—प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी.—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल———————(संबंधित पात्र स्त्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।"

"मैं अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्त्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50 प्रतिशत से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100''$$

(जहां एक्स फैक्ट्री मूल्य लागू हो)

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ———————(पात्र स्त्रोत देश का नाम) में———————(कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।"

खण्ड—3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच तमिलनाडु लघु उद्योग विकास परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं. आई डी पी—47 (परियोजना सहायता से संबंधित 10 फरवरी, 1988 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगी।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आई. डी. पी-49 से संबंधित 10 फरवरी, 1988 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ. ई. सी. एफ. द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में) ।

(ङ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरक संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की लुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किय जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4 ओ ई सी एफ द्वारा ठेके की पुनरीक्षा

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दूर संचार विभाग और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और परिशिष्ट-2 के प्रपत्र में "प्राधिकार पत्र" जारी करने के लिए आवेदन की दो प्रतियां आर्थिक कार्य विभाग को भेजनी चाहिए ।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य संशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके की एक प्रति के साथ ठेके के निर्णय का नोटिस ओ ई सी एफ को पुनरीक्षा के लिए भेजेगा । ठेके के निर्णय के नोटिस और ठेके की एक-एक प्रति आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय दूतावास टोकियो को और आयात लाइसेंस की फोटो कापी और "प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन" की एक प्रति के साथ सी ए ए एण्ड ए के कार्यालय को भेजेगा ।

खंड-5 विदेशी संभरकों की भुगतान-साख पत्र क्रियाविधि

5(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से ठेके के निर्णय का नोटिस और ठेके के दस्तावेज प्राप्त होने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा को सम्बोधित संलग्न अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा जिसमें बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में संलग्न अनुबंध-4 (आयातों के लिए) के प्रपत्र में या अनुबन्ध-5 (सेवाओं के लिए) के प्रपत्र में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगी। प्राधिकार पत्र की प्रतियां ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास, टोकियो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी ।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-4 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या अनुबन्ध-5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास टोकियो आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा ।

सी. ए. ए. एण्ड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधन पर स्वतः लागू होंगी ।

5(3) माल का पोतलदान कराने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रति-पूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा ।

5(4) साखपत्र खोलने, उसके अधीन लेन-देन करने और विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभार यदि कोई हों तो वे आयातक/विदेशी संभरक द्वारा वहन किए जायेंगे । ओ. ई. सी. एफ. ठेके के मूल्य के 1/10 प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) के बराबर धनराशि प्राप्त करने पर वचनबद्धता पत्र जारी करेगा। यह धनराशि ओ. ई. सी. एफ. द्वारा स्वयं ऋण निधियों में से चुकाई जाएगी ।

ओ. ई. सी. एफ. या सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर, आयातक को वचनबद्धता पत्र के खर्चों के तुल्य धनराशि सरकारी लेखे में जमा करनी होगी । ओ. ई. सी. एफ. को भुगतान की तिथि से रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों तिथियां शामिल करके) ब्याज भी प्रचलित दर पर आयातक द्वारा चुकाया जाएगा ।

आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति किया विधि के तहत 0.1 प्रतिशत का इसी प्रकार का खर्चा चुकाया जाना है । आयातकों द्वारा आयातों के लागत के भुगतान की तिथि से ओ. ई. सी. एफ. द्वारा विदेशी संभरक का अदायगी की तिथि तक की अवधि के लिए गणना करके बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार का भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणालों के माध्यम से भारत में संबद्ध आयातकों के बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को धन परेषण करके भुगतान किया जाएगा ।

5(5) प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं के वितरण के लिए प्रक्रिया ऋण सहायता की प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी ।

खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) बैंक आफ टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतिक अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को पराक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पोतलदान दस्तावेज रिलीज होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज प्रभार की समय-समय पर प्रचलित दर, जो वर्तमान समय में प्रथम 30 दिन के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रूप से रुपया जमा करने की तिथि तक का हिसाब लगाकर सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई. टी सी (पी एन/83, दिनांक 10-8-1983 के अनुसार मूल भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्रभार भी सरकारी लेखे में जमा कराना है यह भी नोट किया जाना चाहिए कि ब्याज दोनों दिनों के लिए अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-1983 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74, दिनांक 31-5-74 संभरक को किए जाने वाले भुगतानों की राशि और तारीख का सुनिश्चय करने के लिए आयातक को अग्रिम में व्यवस्था करनी चाहिए । बैंक आफ इंडिया, टोकियो से

आयातक के बैंक द्वारा पोत-परिवहन आदि दस्तावेजों की देरी या विलम्ब से प्राप्ति को, रुपया निक्षेप पर लगने वाले ब्याज की आंशिक या पूर्ण धनराशि को समाप्त करने का कारण नहीं माना जाता है।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो।

इस सम्बन्ध में और ब्याज की दर के सम्बन्ध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को देय धन-राशि के माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाए ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843" सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फार परचेजिज एटसट्रा अब्राड-परचेस अन्डर क्रेडिटस लोन एग्रीमेंटस, लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 3198 बिलियन येन क्रेडिट सं. आई डी पी-47 फार तमिलनाडू स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डिवेलेपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968 सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 12-10-78 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में आयातक का संबद्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में यथा निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण" और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकारपत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान द्वारा जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो को अदायगी की सूचना और आरिवर्त-नीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड-7 विविध व्यवस्थाएं

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना ।

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते है ।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-2 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की शर्तों के विवाद के निपटान से संबंद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए ।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं. आई. डी. पी.-47 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान (ओ. ई. सी. एफ.) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी ।

7(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
3. अनुबन्ध-3 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
4. अनुबन्ध-4 साख-पत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू) ।
5. अनुबन्ध-5 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू) ।

उपाबन्ध- 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

क. विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(क-1) विदेश आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा
   मिश्र
   मोरक्को
   तूनीशिया
2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा
   अंगोला
   बेनिन
   बोत्सवाना
   बरुण्डी
   कैमरोन
   केप वर्दे द्वीप
   मध्य अफ्रीका गणतंत्र
   चाद
   कोमरो द्वीप
   कांगो, दाहोमे का गणतंत्र
   इक्वेटोरियल गुयाना (1)
   इथोपिया
   जाम्बिया
   घाना
   गुयाना
   आइवरी कोस्ट
   केन्या
   लेसोथो
   लाइबीरिया
   मालागासी गणतंत्र
   मालावी
   माली
   मारीशस, मारिटीनिया
   मुजाम्बिक
   नाईगर
   पुर्तगीत गुयाना
   रिवूनियम
   रोडेशिया
   रवाण्डा
   सेंट हेलिना और द्वीप (2)
   साओ टोमो और प्रिंसिपल
   सेनेगल
   सीचलीज
   सीयरे लिओन
   सोमालिया
   सूडान
   स्वरजीलैण्ड
   टेरी अपगर्स और इतास
   टोंगो
   युगान्डा
   तंजानिया गणतंत्रीय संघ
   अपर बोल्टा
   जोइरे गणतंत्र
   जाम्बिया

3. अमरीका, उत्तरी और
   केन्द्रीय
   बरमूडा
   बारबोडोस
   बेलीज

कोस्टा रीका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सेल्वाडोर
ग्वाटेमाला
हैती
होण्डूरस
जमैका
मारतीनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एन्टीलीज
निकार गुआ
पानामा
सेंट पियरे और मिगुलोन
ट्रिनिडाड और टोबेगो।

(1) पहले स्पेन गिनी का प्रदेश फर्नांडो पो के द्वीप सहित ।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित:—असेन्शन, ट्रिस्तण्डा इन एसोंबिसरल, नाइटिनगेल, गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरूना, बोनाहरे, क्यूराकोओ, साहा सेन्ट यूस्वासिट सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग) ।

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय
वेस्ट इंडीज शाखा एन. आई. ई.
(क) सह-सम्बन्ध राजस्व (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरीका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांस
गुयाना
पराग्वे
पीरू
सूरिनाम
ऊरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतन्त्र
यमन जनवादी का. डी. आर. (4)

6. दक्षिण एशिया
अफगानिस्तान
बंगलादेश
भूटान
वर्मा

7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरूनी
हांग कांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लेप्स
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर.
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिस पोलिनेशिया (5)
नारु
न्यू केलेन्डोनिया
न्यू हैब्रिसिस (ब्र. और फ्र.)
नियु
पैसीफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा.)
टोंगा
वालिस और फुटुना
पश्चिमी सामोआ

भारत
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

9. यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक

कान्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेंट क्रिस्टोफो) नेविस-अगुंइला, सेंट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट ।
(2) मेन आईलैण्ड, मोन्टेसरत, संमाने तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह
(3) अजमन, दुबई, फजाइरत, रास अल खेमाह शार-जाह और उम्म अल क्वेवन ।
(4) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित।
(5) सोसायटी आई लैण्ड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टूआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मारकेसन द्वीप समूह।
(6) पैसिफिक द्वीप का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह और मरियाना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

(क.2) ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश
अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियाई अरब गणतंत्र
गेबोन
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुअला
ईरान
ईराक
कुवैत
कतर
सऊदी अरब
आबू-धाबी
इन्डोनेशिया

उपाबन्ध-2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए
प्रार्थना पत्र

संख्या　　　　　　दिनांक

सेवा में

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—येन क्रेडिट सं. आई डी पी ·······(परियोजना सहायता) 1988 के अन्तर्गत जापान से·····का आयात ।

महोदय,

उपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई.डी.पी.········ ·········(परियोजना सहायता) के अधीन··········से ····के आयात के सम्बन्ध में·········· (बैंक का नाम)··············जो कि वही होना चाहिए, जो नीचे (ढ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए दिया गया है कि प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।
(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।
(ग) प्राप्ति के तरीके·······क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।
(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।
(ङ) माल का उद्गम देश ।
(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।
(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) ।
(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में) ।
(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क/लागत और भाड़ा (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।
(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक ।
(ट) विदेशी संभरक का नाम, पता और राष्ट्रीयता।
(ठ) भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।
(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।
(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए) ।
(ण) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।
(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।
(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है, यदि हां तो ऐसे प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है ।

(ङ) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों या संभरकों द्वारा वहन किए जाते हैं।

(च) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) को सुपुर्दगी सौंपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जाएगी विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में दिए गए ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए या यों ही धनराशियां जमा करा दी जाए।

उपाबन्ध-3

(प्राधिकार पत्र का प्रारूप)

सं.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)।

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. आई डी पी ··············· के अधीन आयात साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक ·········· को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ··················· के नाम में ··········· येन धनराशि के लिए अप्रतिसंहरणीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ.ई.सी.एफ., भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

3. साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के साथ ओ.ई.सी.एफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर दिए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

4. विदेशी संभरक को अदायगी करते समय आपके द्वारा ························ (आयातक के बैंक के नाम व पता) मूल पोतलदान दस्तावेज (विनिमय), अतिरिक्त पूर्ण दस्तावेजों के सैट के साथ तथा संभरक को की गई अदायगी को नामे डालने की सूचना, तत्काल अदायगी यदि कोई की गई हो, तो उसकी प्रति भेजी जाए।

5. संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ.ई.सी.एफ द्वारा आपको उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने योग्य प्रभार भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना सामान्य बैंकिंग स्रोतों के माध्यम से भारत में संबद्ध आयातक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्णीत किए जाएंगे। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और मात्राओं को आरोपण करने और सौदा संबंधी दस्तावेजों के संचालन से संबंधित और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक/आयातक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही आयातक या संभरकों से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ.ई.सी.एफ से नहीं किया जा सकता है।

6. जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो उसकी सूचना निर्धारित पत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

7. यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। साखपत्र के बाद में किए जाने वाले संशोधन या इस प्राधिकार के मुद्दे भविष्य में साख पत्र इस मंत्रालय से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना वैध नहीं होंगे।

8. यह प्राधिकार पत्र ············ तक वैध रहेगा।

9. कृपया इस करार के संबंध में सभी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस पत्र के अनुदेश शीर्ष में दी गई संख्या का उल्लेख करें।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ·············· को उनके पत्र सं. ····· ········ दिनांक के ·············· के सन्दर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों को डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। यदि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है, तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने

चाहिए । विदेशी राष्ट्रीकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं । निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्यवाई की जा सकती है ।

2. (1) आयातक के बैंकर .... यह आयात लाइसेंस संख्या .... दिनांक .... के सन्दर्भ में है । यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अन्तर्गत प्रभावी आयात लाइसेंस के बारे में जारी किया गया आयात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कारवाई के लिए लाइसेंसिंग शर्तों तथा सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना/आदेश आदि को देखें ।

2(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8—आई.टी.सी. (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी । प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख बैंक आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाना है उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए गिना गया है उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना अपेक्षित है । ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है । (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाएगा उसे सूचित कर दिया जाएगा) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिये जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, 233-आई टी सी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968, 132-आई टी सी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 सं. 74-आईटीसी (पीएन) 74, दिनांक 31-5-1974 सं. 103 आई टी सी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है । वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वो "के डिपाजिट्स एण्ड एडवासिंग-843-सिविल डिपाजिट्स-डिपाजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा अब्रोड अंडर परचेज क्रेडिट लोन एग्रीमेंट्स" जो फ्राम द गवर्नमेंट आफ जापान .... विलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी ...... फार है ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू.सी.ओ.ओ. बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णानी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामले में, जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ निर्णित किए जाएंगे ।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहायोग निधि टाकावासी गोड बिल्डिंग, 4-1 ओहाट मेचो-1 कौमे चियोडा कू टोकियो 100 जापान ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

(लेखा अधिकारी)

उपाबन्ध-4

प्रपत्र ओ.ई.सी.एफ.एल.सी.-1
अपरिवर्तनीय साखपत्र
(माल के लिए लागू)

दिनांक ......

सेवा में, [illegible]

.... यह साखपत्र (ऋणों) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार संख्या .... दिनांक .... के अनुसरण में जारी किया गया है ।

महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमने आपके नाम में इससे निकाले जाने वाले बीजक के पूरे मूल्य के लिए ड्राफ्टों

द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए अपरिवर्तनीय साख पत्र सं.....खोल दिया है जो ..... (अर्थात् येन), की कुल धनराशि से अधिक नहीं है। इसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक समुद्री, पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट ही ब्लैंक पृष्ठांकित एवं निहित "फ्रैट एवं नोटिफाई" अंकित किए हुए अन्य दस्तावेज। प्रमाणित पोतलदान (माल के लदान का संक्षिप्त विवरण) संविदा सं.....(यदि कोई हो) के सन्दर्भ में.....से.....आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। ट्रांसशिपमेंट स्वीकृत है। लदान बिल..... के बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट..... तक बातचीत के लिए अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस ऋण के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट तथा दस्तावेजों पर "अपरिवर्तनीय" साखपत्र सं.....दिनांक.....के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं..... (संख्याएं) यदि कोई हो, अंकित होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस ऋण और इसकी शर्तों के अंतर्गत जारी किए गए और इसकी शर्तों का अनुपालन करके जारी किए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और अर्हता को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न उल्लेख किया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टमस एण्ड प्रैक्टिकस फार डाक्यूमेंटरी क्रैडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचर सं. 290" के अधीन है। लेन-देन करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश।

1. उपर्युक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम लेन-देन वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की धनराशि को लौटा देंगे।

2. लेन-देन करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्टों और दस्तावेजों के एक पूरे सैट के साथ एक प्रमाण-पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि शेष दस्तावेजों के सीधे ही हवाई डाक द्वारा .....को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए है।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

भुगतान हमारी साखपत्र सं.....का अभिन्न अंग है।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य के.....प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य का..... प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य का..... प्रतिशत है।

टिप्पणी : —पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इसे संलग्न दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है।

उपाबन्ध-5

(प्रपत्र ओ ई सी एफ एल सी-2)

(अपरिवर्तनीय साख-पत्र)

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक :

सेवा में

.....यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार..... सं.....दिनांक.....के अनुसरण में (संभरक का नाम व पता) जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकाले के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एवं साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं.....खोल दिया है जो येन..... (येन.....) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (परियोजना के संबंध में ठेका सं.....) से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट.....से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं. .....के अन्तर्गत ड्रॉन लिखा होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाये, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाक्यूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोश नं. 290" के अधीन है। सादा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश।

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लागकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किये गये वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम .... का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की एक प्रति और समीद हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जायेंगे।

4. इस साखपत्र के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के लेखे के लिए है।

भवदीय,
वाणिज्यिक बैंक
द्वारा ....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं. .... का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि .... येन

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज : लागकारी का विवरण

अंतिम भुगतान तिथि :

2. भुगतान वृद्धि :

सम्पूर्ण योग : धनराशि .... येन

कुल संविदा का मूल्य .... प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

देय धनराशि	अंतिम भुगतान तिथि
पहली किस्त, येन	————
दूसरी किस्त येन	————
————	————

अपेक्षित दस्तावेज : (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक :
संदर्भ :

सेवा में

————————
————————
————————

(संभरक का नाम और पता)

सन्दर्भ :— ऋण करार सं.————के अन्तर्गत .... परियोजना से संबंधित————के नाम के ————येन के लिए————द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं.———— दिनांक————में अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा————और ———— के बीच समझौता सं.————दिनांक————में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्र पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा————की धनराशि (————येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

————————
(ऋणी)
द्वारा ....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 61-ITC(PN)|88-91

New Delhi, the 13th October, 1988

Subject : Licensing conditions for import of equipment|services under OECF Loan No. ID-P. 47 of Yen 3.198 Billion for implementation of the Tamil Nadu Small Scale Industries Development Project of the Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd., regarding—

F. No. IPC 23(45) 88-91.—The terms and conditions governing import of equipment|services under OECF Loan No. ID-P. 47 of Yen 3.198 Billion for implementation of the Tamil Nadu Small Scale Industries Development Project of the Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd., is given in Appendix to this Public Notice are notified for information

Sd|-

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to the Ministry of Commerce
Public Notice No. 61-ITC(PN)/88-91
Dated 13-10-1988

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORT OF EQUIPMENT AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF YEN 3.198 BILLION FOR IMPLEMENTATION OF THE TAMIL NADU SMALL SCALE INDUSTRIES DEVELOPMENT PROJECT OF THE TAMIL NADU SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (TNSIDCO) EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) OF JAPAN.

Section 1—General Conditions

I (i) The Yen Credit of Yen 3.198 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Tamil Nadu Small Scale Industries Development Project of TNSIDCO is united in favour of Japan and developing countries including India. Accordingly the goods and services to be procured under the credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 3,517 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 47". The first and second suffix to the licence code will be "SJC". This will also be repeated in the letter from CCI&E forwarding the import licence to TNSIDCO which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of TNSIDCO on CIF Basis.

I (iv) Depending on the convenience of importer more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 3,517 billion (CIF) as specified at (ii) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by importer, be granted upto a further period of 12 months. Any request for further extension issue of a fresh licence may be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Import to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the impact licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FCB/C&E basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the Import Licence. Insurance charges will be payable in India in Indian Rupees. "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the Overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/ or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If Firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi, who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier.

The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should note be beyond 31-12-1992.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB/C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Procurement of all goods and services to be financed out of the proceeds of the loan shall be made in accordance with the guidelines for procurement under the loan with the following supplemental stipulation :—

(a) In case of procurement of goods and services of value estimated to be not less than 500 million Yen.

(i) Prior approval of OECF shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedure other than the Open International Tendering with Prequalification, submitting to OECF an application for approval of procurement method.

(ii) Prior to issuing a notice of award to successful bidder, the application for approval of award with bid evaluation report shall be submitted to OECF for approval. Alongwith the above application for approval of award and bid evaluation, the evaluation report of prequalification, notices and instructions to bidders, bid form, proposed contract, specification and drawings and other documents related to bidding will also be submitted to OECF for its review.

(b) In case of procurement of goods and services of value estimated to be less than Yen 500 million prior approval of OECF is not required for award of contract on the condition that tenders lots are divided reasonably. However, if OECF requests, the tender evaluation reports etc. will be submitted to OECF for its review.

(c) Consultants shall be employed in accordance with OECF Guidelines for Employment of Consultants. But prior approval of OECF shall be obtained to the following documents :—

(1) Terms of Reference

(2) Short List of Consultants

(3) Letter of Invitation

(4) Evaluation Report including Summary Evaluation Sheet.

(d) The application documents mentioned in (a)(i), (a)(ii), (b) and (c) above will be submitted by the importer to Deptt. of Economic Affairs, in duplicate, for submission to OECF.

II (vi) The payment to the overceas supplier should be aranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 47 for 1978-88 the details of which are given in Section VII below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier.—The supplier shall be nationals of the eligible source countries, or jurisdical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Permissible imports from non-eligible source countries.—Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than fifty per cent (50%) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF PRICE} + \text{IMPORT DUTY} \times 100}{\text{SUPPLIER'S FOB PRICE}}$$

(In case of Indian Supplier, Ex-factory price shall be adopted)

II (vii) Declaration in Contract.—The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in————————(name of eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than fifty per cent (50%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF PRICE} + \text{IMPORT DUTY} \times 100}{\text{SUPPLIER'S FOB PRICE}}$$

(where applicable Ex-factory Price)

"I, the undersigned, hereby certify that—————— (Name of company) has been incorporated and registered in————————(Name of eligible source country), and is controlled by nationals of ———— (name of eligible source countries concerned)."

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arrange in accordance with the loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 10th February, 1988 concerning the Yen Credit No. ID-P. 47 (Project Aid) for Tamil Nadu Small Scale Industries Development Project.

(b) Payments to the Supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 47 dated 10th February, 1988 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii) above.

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese Supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Review of Contract by OECF

IV (i) within stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both the importer and the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier of their photocopies complete in all respects, together with two photocopies of the relevant and valid import licence and two copies of the "Request for issue of L.A." in the form in Annexure II to the Department of Economic Affairs.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of the contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (Deptt. of E.A.) will send Notice of conclusion of Contract alongwith a copy of the contract to OECF for its review. A copy each of the Notice will also be sent by Department of E.A. to Embassy of India, Tokyo and Office of CAA & A alongwith one copy each of "Request for issue of L.A." and photocopy of import licence.

Section V—Payment to the Overseas suppliers Letter of Credit Procedure

V (i) On receipt of the Notice of Conclusion of contract and contract document from the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached at Annexure-IV (for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV (applicable to imports) or V (applicable to services) in favour of the Overseas Suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank of India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo who will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers. A letter of commitment will be issued by the OECF on receipt of an amount equal to one-tenth per cent (0.1%) of the contract value. This amount will be paid to itself from the loan funds by OECF.

The importer is required to deposit into the Government of India account the rupee equivalent of this letter of commitment charges on receipt of intimation of the payment from OECF or from the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance. Interest from the date of payment to OECF to the date of rupee deposit (both dates inclusive) at prevailing rates will also have to be paid by the importer.

A similar charge of 0.1% is payable by the importer under the reimbursement procedure also. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank of India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure.—Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE attached to the loan agreement.

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I., Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee equivalents of the Yen payments calculated at the rate prevailing from time to time, the present rate being 12 per cent per annum

for the first 30 days and @ 18 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-1983 It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)| 74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-76 and Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-1983.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker from Bank of India, Tokyo will not be acceptable as reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 109-ITC(PN)|74 dated 3-8-1974 and 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India.

Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the India Bank concerned to ensure that the amount due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importers should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amount due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importers fail to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAs to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of C Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advance 843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad-Purchase under credits| Loan Agreements Loan from the Government of Japan—3 198 Billion Yen credit No. ID-P 47 from for the Tamil Nadu Small Scale Industries Development Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC-(PN)'68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)'68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Ecnomic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariable be furnished in the treasury challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous Provisions

VIII (i) Reports on utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licences should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions.—The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time

to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 47 with the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible sources countries

Annexure—II Request for issue of Letter of Authority

Annexure—III Form of Letter of Authority

Annexure—IV Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

Annexure—V Form of letter of credit (Applicable to Service).

ANNEXURE-I

List of Eligible Source Countires

A. Developing Countires and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Eyypt
Merocco
Tunissia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Benin
Botswana
Burundi
Camereon

Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea(1)
Ethiopica
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritanai, Mauritius
Moozambique
Nigar
Protuguese Guinea

Reunion
Reun Rhodesia
Rawanda
St. Helens and dep
(2) Sao Tomo and Principle
Senegla
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan

Swaziland
Terro, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Saire Republic
Sambia

III. AMERICA, North end Cont.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Ricea
Cuba
Dominican Republic
EL Salvadoe
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobage

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernaude PO.

(2) Including the following islands; Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St.

III. AMERICA, North & Central 4

West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States(1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colobmia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. AISA, Middle East

Baharain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic

United Arab Emirates(3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanittan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic

Khorea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-nam, Dem Rep.

VIII. OCEANAI

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia(5)
Nauru
New Calendonia
New Rebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands(US)(6)
Paupa New Guinea
Solomon Islands (Br).
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samea

IX. EUROPE

Cyprus
Gibralter
Greece
Malta

Spain
Turkey
Yugoslavia

1. Main Islands : Antique, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe): Nevis-Anguilla, St. St. Lucia and St. Vincent.

2. Main Islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

3. Ajaman, Dubai, Fugairah, Ras al Khaimah, Shrjah and Umm al Quaiwain.

4. Including Aden and various sultantes and emirates.

5. Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marqueseas Islands.

6. Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands Marshall Islands, and Marrine Ialsnds (except Guam).

(a2) Member of Associaion Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia.

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Dates.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub: Import of from.....under the Yen Credit No. ID-P.———(Project Aid for 198–8)

Sir,

In connection with the import————from ———— under the above mentioned Yen Credit No. ID-P.————(Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ————(name of the Bank) which should be the same as given in (p) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and address of the Indian importer

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid)

(c) Method of procurement-whether it is based on direct purchase of formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods

(e) Origin of the goods

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB/C&F value of contract (in Yen)

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB/C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas Suppliers.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted.)

(p) Name and address of the importer's bank in India

(q) whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importers/ or Supplier.

(5) Undertaking by the importer:—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of a foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the Payments made to the suppliers".

ANNEXURE-III

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject: Import under yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P.————Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-88- entered into with your Bank, you are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———— ————favouring M/s.———————— ———————— as per attached details.

2. A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

3. Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

4. On making payment to the foreign supplier you should send to ———— (Name and address of the importre' Bankers) the original shipping "documents negotiable" as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of its reimbursement to you by the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier/Importer and may, therefore, be recovered from the Supplier/Import directly. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

6. As and when anyment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

7. This Letter of Authority is intended for opening to L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This letter of Authority will remain valid upto ————————.

9. Please quote the number given at the top of this letter of instructions in all correspondence relating to the contract and also in the advice showing payment.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to:—

1. Importer———————— with reference to their letter No.———————— dated————————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may ential action as mentioned in the Licensing Conditions.

2(i) Importers Banker....This has reference to import licence No. and date. This letter of authorisation issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen credit. The licensing conditions and connected Public Notice/Order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

2. (ii). They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the

overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No.8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account in is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposits is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made.) It should be insured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000309 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public-Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, 233 ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "L" K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreement "—Loans from the Government of Japan——— billion Yen Credit(Project Aid) No. ID-P——— for 198 -8 ."

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full detailt of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by menas of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OBCF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Oan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gode Building, 4-1, Ohtomachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100 Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE IV
Form OECF—LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicabe for goods)

To ————————

————————

Date :

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan.

Agreement No. ————————

Dated ————————

between (Borrower) and

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.. ....in your favour for account of ....for a sum of same not exceeding an aggregate amount of Yen.............................. (Say yen available by our drafts at sight for full invoice value) drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify" Other documents.

evidencing shipment of (breif description of goods to be shipped referring to Contract No.————————(fi any) from to Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted.

Bills of lading must be dated not later than.....Drafts must be presented for negotiation not later than.....
.....
.....All Drafts and documents under this credit must be marked.....
"Drawn under.....irrevocable credit No.....
....., dated.....and Import
Reference No.(s).....(if any).....
.....This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentations and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank.

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to ————————————————
3. All banking charges under this credit are for the account of importer/supplier.

Yours faithfully,

————————————
(a commercial bank)
By.....
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.....

I. Initial Payment

Amount : Yen.....
being..... % of the toal Contract price.
Required documents:
Latest presentation date:

II. Intermediate Paymet (if any)

Amount : Yen.....
being.....%of the total contract price.
Required documents:
Latest presentation date:

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Yen.....
being.....% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE V
Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

To

————————————

————————————
(Name and address of the supplier)

Dated :
This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. .....,
dated .....,
between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.....in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen.....(Say Yen.....) available by beneficiary's drafts at sight for full Stycmont value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to.....Project).
Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under Irrevocable credit No.

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".) .

Special instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower of its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached heretc. In case hereto. In case of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued there to under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the documents as mentioned in item 1 ba above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)
By
(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

I. Initial Payment

Amount Yen

being % of the total contract price Required documents: beneficiary's Statement Latest presentation date:

II. Progress Payment

Aggregate amount : Yen

being % of the total contract price to be paid as follows Amount due Latest presentation.

1st Instalment: Yen

2nd Instalment : Yen

Required document: A copy of State of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

STATEMENT OF PERFORMANCE

Date :

Ref. No.

To

(Name and address of the Supplier)

Re :Letter of Credit No.....dated
issued by .....
for Yen..... in favour of .....
.....concerning .....
Project under Loan Agreement No.....

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle..... to receive the sum of Yen.....(Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No....., dated....., between..... and .....

.....
(Borrower)

By: .....
(Authorised Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988